राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/216/2020-KSP

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ दिनांक 17.08.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री रजनीश कुमार, चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
3. श्री वी.के. पति, उपसचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री राजेश कुमार, चीफ जनरल मैनेजर (एचआर), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - Good Morning Sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - Good Morning.

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – आपका कांस्टीट्यूएंट यूपी है या एमपी?

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - वाराणसी उत्तर प्रदेश है।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – मैं भी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हूं और 3 साल हो गए है। ये आपका क्यूशचनेयर आया था उसको पांइट-वाईज सारा रिप्लाई किया है अगर इसके आधार पर कोई एक्सक्लूसिव जानकारी कि भारतीय स्टेट बैंक को कुछ काम करना है वो अगर आप अपना विचार देंगे तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - The Commission desires to know that the existing roster register maintained by State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Mysore, State Bank of Travancore, State Bank of Hyderabad, State Bank of Patiala and Bharatiya Mahila Bank will be treated as one roster register in the amalgamated bank since 01.04.2020.

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – मेरे साथ मेरे सहयोगी है राजेश कुमार जो चीफ जनरल मैनेजर है एचआर के।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ये one roster register treat किया जाएगा क्या?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – हां एक रोस्टर रजिस्टर ही ट्रीट करेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - Whether the amalgamated bank updated and maintained the roster register. Please provide roster register since 01.04.2020 along with roster register of State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Mysore, State Bank of Travancore, State Bank of Hyderabad, State Bank of Patiala and Bharatiya Mahila Bank from 01.01.2020 to 31.03.2020?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – वो अवेलेबल है वो मिल जायेगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - Whether officers of Scale I to VIII promoted in different cadres under the promotion process for FY 2020-21, if so, please give the details of Scale-wise promoted OBC officers (along with certified copies of OBC certificate)?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – पॉलिसी के अनुसार हम लोगों के यहा है उसमें 2020-21 का हो चुका है। ये हम लोग सब्मिट कर देंगे लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओबीसी, हमारा उस तरह से तो नही हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - क्यो नही मिल पायेगा?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – कैटेगरी तो हम लोग दे देंगे, वो हमारे पास है अभी आपने जो बताया है स्केल-I से स्केल-VIII तक हम दे देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - इनका ओबीसी का सर्टिफिकेट और ऐफेडेविट पर इसको दे दीजिए।

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ओबीसी का सर्टिफिकेट तो चैक करना पड़ेगा।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - जो आप उनका कैटेगरी बता रहे है उनका कैटेगरी तो लिखा हुआ होगा तो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट मंगवा कर दे दीजिए।

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – ठीक है सर दे देते है।

<u>चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – सर्विस रिकार्ड के हिसाब से होगा तो हम लोग सर्टिफाई करेंगे।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - ठीक है उसको सर्टिफाई करके दे दीजिए।

<u>चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – जी सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - Whether employees in workmen cadre promoted from Sub Staff to Clerk in the promotion process for FY 2020-21; if so, please give the detail of promoted OBC (along with certified copies of OBC certificate and Roster Register) who have been promoted from Sub Staff to Clerk in workmen cadre?

<u>चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – हम सूचना दे देंगे।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - Whether the CVC on 11.09.2013 prescribed the Government to identify the sensitive posts and staff working in these posts and also to ensure that they are strictly rotated after every two/three years to avoid developing vested interest, if so, please give the details along with rotational transfer's details since three years?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – हम जानकारी दे देंगे सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - Please give the category-wise details of officers working in HR Division and Corporate Loan Division along with date of posting in these sections?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> ठीक है सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -</u> Whether SBI has/had recommended as their nominee-directors on the board of various companies; if so, the details thereof during the last 10 years along with details of nominee-directors belonging to OBCs on the board of various companies?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> ठीक हैं सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -</u> Whether any higher officer of OBC is working on sensitive post?

<u>चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> सेंसिटिव पोस्ट तो बहुत है बैंक में।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग –</u> कौन-कौन से है?

<u>चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> सेंसिटिव पोस्ट तो बहुत ज्यादा क्लासिफाइड है और उनका जो क्वार्टरली रिपोर्ट है जो सीवीसी और डीएफएस के दिशा-निर्देश है उसकी बोर्ड को सूचना जाती है हर क्वार्टर में।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -</u> नहीं कौन-कौन से पोस्ट सेंसिटिव है?

<u>चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> ब्रांच मैनेजर की पोस्ट है वो सेंसिटिव है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -</u> ब्रांच मैनेजर की नही, हायर लेवल पर कौन-कौन सी पोस्ट सेंसिटिव मानते है ऑल इंडिया लेवल पर?

<u>चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> जो सेंसिटिव पोस्ट का हमारा क्राइटेरिया है, सीवीसी के साथ जिसको हम लोग सेंसिटिव पोस्ट मानते है और हर 3 साल में उसका रोटेशन जरूरी होता है। तो Hierarchy या तो आप हमें बताईये कि किस लेवल पर आप कह रहे

है. सेंसिटिव पोस्ट तो बैंक में बहुत है। हमें इन्फोर्मेशन देना होता है तो क्वार्टरली बोर्ड को देते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग - सेंसिटिव में कौन-कौन से डीविजन आते है?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – भारतीय स्टेट बैंक बड़ा बैंक है, 1 चैयरमेन है, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर है, 18 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, 72 चीफ जनरल मैनेजर है, 170 जनरल मैनेजर है, 750 डीजीएम है तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन नीचे तक बढता चला जाता है। तो अगर कोई स्पेसिफिक है तो आप बताइए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग - डीविजन आप कौन-कौन सा सेंसिटिव मानते है?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – डीविजन सेंसिटिव नही होता है, बैंक में जो है हमारा मान लीजिए जो एक रिटेल एवं डिजीटल बैंकिंग वर्टिकल है, एक हमारा कोर्पोरेट अकाउंटेंसी है, एक हमारा कोमर्शियल क्रेडिट ग्रुप है। बैंक में जो है 10 से ज्यादा डीविजन है तो हर डीविजन में पॉजिशन सेंसिटिव है या तो की स्पेसिफिक आप हमें बताए तो उसका उत्तर जो है हम लोग देंगे लेकिन जनरल सेंसिटिव पोजीशन का कोई इस तरह से आंकडा देना हमारे लिए कैसे संभव होगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग - ठीक है चैयरमेन साहब जो आप बता रहे है वही आयोग को ऐफिडेविट पर दे दीजिए।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ठीक है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग - Please give the details of officers transferred and cancelled transfer order along with representation of OBCs after amalgamation of bank during the current year?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ठीक है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ये जो प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 8 में आपने जो जवाब दिया है क्या इसमें ओबीसी के ऐसे कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है जो स्वयं की मेरिट के आधार पर नियुक्त हुए है?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स इसमें है हमने जो आपको डाटा दिया है उसका ब्रेकअप ये है कि ऑफिसर्स में 1,07,183 टोटल है उसमें 21,296 ओबीसी है वैसे ही क्लर्क और सब-स्टाफ में भी बाइफरकेशन आपको दिया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - वो जो आपने आंकड़ा भेजा है उसमें ओबीसी के लोग जो स्वयं की मेरिट पर आये है उनको भी इसमें सम्मिलित किया है?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – उनको भी इनक्लूड किया है, मुझे प्रतिशत में चैक करना पड़ेगा कि इस प्रतिशत में वो शामिल है या नही, वो हम चैक करके बतायेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - आपने आंकड़ा दिया है तो जानकारी तो होगी ना।

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – अभी कंफर्म करके थोडी देर में बता देते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ये जो एससीओ के 80 पद है प्रश्न संख्या 9(a) में, उसको बार-बार कैरी फार्वर्ड करने के पीछे क्या उद्देश्य है?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – कैरी फार्वर्ड इसलिए किया है कि वो जितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है अगर वो नही मिलते है ति उनको कैरी फोर्वर्ड करके अगले प्रोजेक्ट में उसको इन्क्लूड करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - इसका क्या कारण है?

<u>चैयरमेन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – Sufficient कैंडिडेट्स नही आते है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - Sufficient नही आ पाते या Suitable नही आ पाते?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – जी Sufficient और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो बच गए है उनको कैरी फार्वर्ड करते है नेक्स्ट ईयर उसको लेते है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - इसकी जो पत्रावली है, विज्ञापन क्या किया है और कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कैरी फार्वर्ड क्यों रह गया इसका पूरा कारण आयोग को प्रस्तुत करें।

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – जी सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - इसमें 08.09.1993, 02.07.1997 और 31.12.1997 तक का कटऑफ डेट का रोस्टर मांगा गया था वो उपलब्ध नही कराया गया?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – मैं उसको नोट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या है?

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - क्या बीच में कोई रोस्टर का फोर्मेट चेंज हुआ है?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – नही कोई फोर्मेट चेंज नही है वो हम लोगों ने जब 02.07.1997 से स्टार्ट किया है, मैंटेन किया है बैंक में तो हम वो हम लोगों ने लिखा भी है ये रोस्टर जो हमारे है इनके पीरयोडिकली इंस्पेंक्शन भी होते है, इसमें डीएफएस से आकर भी करते है और हमारे यहां जो लाईसन ऑफिसर है वो भी चैक करते है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - ठीक है तो ये आप शपथ-पत्र पर भिजवा दीजिएगा कि रोस्टर का फोर्मेट चैंज नही हुआ है।

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ठीक है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - क्या डीपीसी में ओबीसी का कोई रिप्रिजेंटेटिव रखते है?

चैयरमेन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – प्रमोशन की जो डीपीसी है वो केवल डीएमडी और सीजीएम के लिए होती है और उसके कांस्टीट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नही है, उसमें गवर्नमेंट के नॉमिनी होते है, आरबीआई के नॉमिनी होते है और बैंक को नॉमिनी होते है और बाकी जो प्रमोशन अप-टू स्केल-III होते है उसमें हम लोग करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ठीक है दोनों का नियम हम लोगों को लिखकर भिजवा दीजिए।

चैयरमेन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - आपके बैंक में चीफ जनरल मैनेजर के कितने पोस्ट है?

चैयरमेन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सीजीएम के 72 है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - 72 में ओबीसी कितने है?

चैयरमेन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – वो कलेक्ट करने पडेगे, डाटा है हम बता देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - जनरल मैनेजर कितने है?

चैयरमेन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – एकदम एग्जेक्ट नंबर तो नही है पर 170 के करीब होंगे, वो स्केल-वाइज हम दे देंगे।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - एजीएम और डीजीएम कितने है?

<u>चैयरमेन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – वो सारा हम आपको ग्रेड-वाईज as on 31.03.2020 दे देंगे और उसमें कितने ओबीसी है वो हम आपको दे देंगे।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - क्या ओबीसी को प्री-प्रमोशनल और प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देते है?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – सर, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लैटर है 1993 का, उसमें कोई गाइडलाइन नही है ओबीसी को प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए लेकिन प्रमोशन के लिए चलता आ रहा है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - एससी/एसटी को आप प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देते है?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देते है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - एससी/एसटी को प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देते है?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – एससी/एसटी को प्री-प्रमोशनल ट्रेनिंग देते है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - ओबीसी को प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग नही देते है?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</u> – इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, 6 नवंबर 2013 का जो लेटर है उसमें लिखा है कि it is not compulsory.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -</u> ओबीसी को प्री-रिक्रूटमेंट और प्री-प्रमोशनल ट्रेनिंग न देने का कारण आयोग को शपथ-पत्र पर दिया जाए।

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> जी सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -</u> ये जो आपके चीफ लाईसन ऑफिसर हैं इनको आप जनरल कैटेगरी का क्यों बनाये हैं, ओबीसी का लाईसन ऑफिसर जनरल कैटेगरी का बनाने का क्या कारण है?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> चीफ लाईसन ऑफिसर जो हमारे पास कॉरपोरेट सेंटर में हैं। जनरल मैनेंजर रैंक में वो ओबीसी ही हैं।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -</u> नहीं आपने तो लिख कर दिया हैं कि कॉरोपोरेट सेंटर में जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं।

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> नहीं हम लोगों ने लिखा है कि इससे पहले जो जीएम थे कॉरपोरेट सेंटर में चीफ लाईसन ऑफिसर हैं वो भी ओबीसी के थे और अब जिनको रखा है वो भी ओबीसी ही है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -</u> उनका नाम क्या है?

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> पवन ~~गेरिया~~ कोड्या

•वर्तमान मे ओबीसी के लिए चीफ लाईसन ऑफिसर श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक हैं, जो की ओबीसी केटेगरी के हैं।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -</u> तो ठीक है इस मीटिंग के समाप्त होने के एक घंटे के अंदर उनका नाम और ओबीसी प्रमाण पत्र आयोग को मेल करें।

<u>सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया –</u> ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ये जो आपके सर्किल ऑफिसेस हैं इनमें जो ओबीसी के लाईसन ऑफिसर हैं इन सबका ओबीसी का सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - एक जो अलग से 5 क्यूशचेन गये थे आपने हमें 29 जुलाई को जवाब भेजा है।

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – मैं आपको चेक करके बताता हूँ सर, 29 जुलाई को जो आपने बोला है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - लग रहा है आप लोग पिछड़े वर्ग आयोग को एकदम गंभीरता से नहीं लिये हैं।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – नहीं सर गंभीरता से लिया हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - आप लोग बिना तैयारी के आये हैं, किसी भी प्रश्न का आप लोगों के पास जवाब नहीं हैं साहब।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – नहीं देखिये जितने प्रश्न लिखकर आये थे उन सब का जवाब दिया गया था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - चेयरमैन साहब उसकी ही बात कर रहा हूँ, आपने हमें 29 जुलाई को जवाब भेजा है।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – हां सर, लेकिन आज इन्होंने जो मुझे पेपर दिये है उसमें ये नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ऐसे गैर-जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तो कार्यवाही करने की आवश्यकता है आपको।

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – वो जवाब मेरे पास नहीं था मैं मंगवा रहा हूँ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - चेयरमैन साहब, आयोग जानना चाहता है कि 31.03.2020 तक टोटल एम्पलाईज कितने हैं?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – 30 जून, 2020 तक 2,44,836 है, 31 मार्च तक का अभी कंफर्म कर देते हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - इसमें ओबीसी कितने हैं?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – 56,066 ओबीसी है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - एक मेरे पास आंकड़ा है और वो आपके एनुअल रिपोर्ट का आकड़ा है, आप उसको हो सके तो नोट कर लिजिए, इसमें 31.03.2020 को एनुअल रिपोर्ट मे दिया है टोटल 2,49,448 और ओबीसी का आपने 56,409 दिया है।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जानना चाहता है कि जो आकड़ा अभी आप आयोग को बता रहे हैं वो सही है या जो आपने एनुअल रिपोर्ट में दिया है वो सहीं है?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – दोनों अलग डेट है सर वो 31 मार्च 2020 का है और ये जो आज आंकड़ा है वो 30 जून 2020 का है, हर महीने हजार लोग रिटायर हो जाते है हमारे यहां, 13000 रिटायरमेंट होते है 1 साल में। ये जो आंकडा है पूरा कम्प्यूटराईज्ड होता है इसमें कोई गलती नही है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ठीक है, तो कृपया दोनों का रोस्टर रजिस्टर आयोग को उपलब्ध कराये, जो अंतर है।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल कितनी सब्सिडियरीज कम्पनियां है जिसमें एसबीआई का शेयर 51% से अधिक है?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंड़िया – सर कुछ समय दीजिये क्योंकि ये क्यूश्चेनेयर में शामिल नहीं था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - इन सब्सिडियरीज कम्पनियों में रिजर्वेशन लागू है कि नहीं?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ठीक है, ये भी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ये तो पॉलिसी मेटर है आप तो जानते ही होंगे कि सब्सिडियरीज कम्पनियों में रिजर्वेशन दे रहे है कि नहीं दे रहे है।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सब्सिडियरीज कम्पनी की जो एचआर पॉलिसी है उसकी जानकारी मैं उपलब्ध कराके तब दूंगा क्योंकि इसमें बहुत से हमारे ज्वाइंट वेंचर पार्टनर भी है। ये जो कंपनियां है इनके डिफ्रेंट रूल एंड रेगूलेशन्स है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग – जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 51% से अधिक शेयर है वहां पर ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है या नही लागू है?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – अभी मैं बताता हूं, अभी मुझे चैक करना पड़ेगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - इसकी जानकारी आपको नहीं है चेयरमेन साहब लगता है।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – नही मुझे इस समय नही है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग – तो ठीक है कृपया इसका भी शपथ-पत्र पर दे दीजिए कि आपको जानकारी नही है।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सर मैं आपको जानकारी दे दूंगा अभी कि हमारी सब्सिडियरिज कम्पनियों की क्या पॉलिसी है क्योंकि अलग अलग है कही 51% है कही 100% है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - मैं तो चेयरमैन साहब उन्ही सब्सिडियरीज की बात कर रहा हूँ जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 51% से अधिक शेयर है। हम उन कंपनियों की बात नहीं कर रहे है जहां पर 18% से शेयर है, 20% है।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सब्सिडियरिज में रिजर्वेशन नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपसे जानना चाहता है कि किस नियम के तहत जिन सब्सिडियरी कंपनियों में 51% से अधिक स्टेट बैंक आफ इंडिया का शेयर है वहां आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे है और इसके संदर्भ में डीओपीटी की गाइडलाइन क्या है।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ठीक है सर, इसका उचित जवाब आपको दे देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - तो कृपया इसका भी जवाब आप शपथ पत्र पर देने का कष्ट करें।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – इसका उचित जवाब हम आपकों भेज देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से मान्यता प्राप्त यूनियन है?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – दो है, एक ऑफिसर एसोसिएशन है और एक हमारा एससी/एसटी के लिये भी है।

कौशलेन्द्र पटेल

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ओबीसी का कोई यूनियन नही है?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ओबीसी का कोई यूनियन हमारे बैंक में नहीं है। हमारे यहां एक ऑफिसर एससोशियशन है और एक एससी/एसटी के लिये है, हमारे यहां एक जो क्लेरिकल स्टाफ है उनका एससोशियशन है।

•हमारे बैंक में मुख्य रूप से SBI अधिकारी संघ, SBI कर्मचारी संघ और SC/ST कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ के ऐसे तीन संगठन हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ओबीसी का नहीं है?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ऑफिसर्स एसोसिएशन में ओबीसी के कितने ऑफिसर्स है?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – 30 जून को 22,668 है।

•ये संख्या 30 जून 2020 को कुल ओबीसी ऑफिसरर्स की है, इनमे से ऑफिसरर्स एसोसिएशन मे कुल ओबीसी सदस्यों की संख्या की जानकारी हम आपको ऑफिसरर्स एसोसिएशन से लेकर उपलबध करायेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - टोटल कितने है उस एससोशियशन में?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – एक ऑफिसर एसोसिएशन है और एक एससी/एसटी केलिये है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - नहीं, मैं ऑफिसर एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ एससी/एसटी में तो ओबीसी का व्यक्ति जायेगा नहीं, ओबीसी का व्यक्ति जायेगा आपके ऑफिसर्स एसोसिएशन में। तो ऑफिसर एसोसिएशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है और उसमें ओबीसी के सदस्य कितने है?

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सर, ये जानकारी हम आपको यूनियन से लेकर दे सकते हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीयं सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जानना चाहता है कि ओबीसी के यूनियन को मान्यता देने के लिये या

ओबीसी का यूनियन बनवाने के लिये मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक क्या प्रयास किया गया है?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सर, हम इसका भी हम लिखित जवाब दे देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - नहीं, आप बताइये चेयरमेन साहब, हम देश के सबसे बड़े बैंक की अथोरिटी से बात कर रहे हैं।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – इसमें जो बैंक की पॉलिसी है, मान्यता प्राप्त यही 3 यूनियन हैं और इसमें जो ओबीसी है अगर अवार्ड स्टाफ के मेंबर है तो अवार्ड स्टाफ की एसोसिएशन के थ्रू जा सकते है और अगर ऑफिसर एससोशियन के मेंबर है तो ऑफिसर एससोशियशन के थ्रू जा सकते हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - चेयरमैन साहब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ कि आप सब लोगों की तरफ से जैसे एक आपके यहां ऑफिसर्स एसोसिएशन है एक एससी/ एसटी का एसोसिएशन है तो ओबीसी के एसोसिएशन बनवाने के लिये मैंनेजमेंट की तरफ से कोई प्रयास किया गया है?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – मैंनेजमेंट की तरफ से ये जो 3 यूनियन है इनको भी बनाने का प्रयास नहीं किया गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - इसलिये ओबीसी यूनियन बनाने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – मान्यता का जो प्रोसेस था बैंक का, उन्होंने मान्यता दी, चैक-ऑफ फैसेलिटी की गयी लेकिन यूनियन बनाने का प्रयास मैंनेजमेंट की तरफ से किसी भी यूनियन का नहीं किया गया।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह जानना चाहता है कि ओबीसी के कितने यूनियन ने मान्यता के लिये आपके यहां एप्लाई किया था और आप लोगों ने मान्यता नहीं दी।

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ये हम लोग देख लेंगे। हमारे पास ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। हम लोग देख कर आप को रिस्पोंस करेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग - चीफ जनरल मैनेजर साहब आप ओबीसी कमीशन के साथ मीटिंग करने आये है बिना किसी तैयारी के और बिना किसी जानकारी के।

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सर, ऐसा है कि जो क्यूशचेनआयर हमको दिया गया था उससे रिलेटेड हमने सारे पेपर रखे है यहां।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग - ये जो क्यूशचेनआयर गया था जिसमें 5 क्यूश्चेन गये थे इसमें आपसे पूछा गया था कि ओवरऑल sanctioned पोस्ट कितने हैं, आपने उस पर क्या जवाब भेजा है, सीजीएम साहब, चेयरमेन साहब ये देखिये ओवर ऑल sanctioned पोस्ट ब्लैंक है, किस तरह से आप लोग केजुअल तरीके से ओबीसी कमीशन को जवाब देते हैं। जब आप लोग ओबीसी कमीशन को इस तरह से केजुअल जवाब देते है तो औरों के साथ क्या होता होगा?

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – नम्बर ऑफ बैकलॉग वैकेंसी की बात कर रहे है सर आप?

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग - हम ओवर ऑल sanctioned पोस्ट की बात कर रहे हैं। क्यूश्चेन न. 1 जो 29 जुलाई 2020 को आपने जवाब दिया है।

सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सर, ये जो कॉलम है इसमें लिखा गया है ओवर ऑल sanctioned पोस्ट और इसके बगल में ओवर आल नम्बर ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड। ये दोनों कॉलम एक ही लग रहा है हमें इसलिए नही दिया होगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग - चेयरमैन साहब ये जो ओवर आल sanctioned पोस्ट है जहां तक मैं जानता हूँ कि इसका मतलब यह है कि टोटल कितने पोस्ट sanctioned हुए।

कौशलेन्द्र पटेल

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – हमारा जो ओवर आल नम्बर ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड है वही ओवरऑल sanctioned पोस्ट है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - आप हमको डेट ऑफ क्रिएशन लिख कर भिजवाइये।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – हर साल ये वैकेंसी अप्रूव होती हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - जो है वो आयोग को नोटिंग करके उपलब्ध कराईये। जो हर साल की बोर्ड से अप्रूवल की कापी है उसको आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - जो एनेक्जर न. 11 है इस एनेक्जर को पूरा आप शपथ-पत्र पर भिजवाने का कष्ट करें।

चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ठीक है चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपना बहुमूल्य समय देने के लिये और ये सब जवाब जो आयोग ने मांगा है उसे 3 दिनों के अन्दर आयोग को उपलब्ध करायें और हेड ऑफिस के लाईसन ऑफिसर का ओबीसी सर्टिफिकेट 1 घंटे के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराइयें।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री रजनीश कुमार)
चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
21/8/2020

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
भारत सरकार
मिसिल संख्या NCBC/08/01/216/2020-KSP
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर के अधिकारीगण के साथ दिनांक 03.09.2021 को हुई सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारीगणः-

1. **श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।**
2. **श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।**
3. **श्रीमति विद्या कृण्णन, मुख्यमहाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा।**
4. **श्री अनूप कुमार सिन्हा, उपमहाप्रबंधक(एचआर), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा।**
5. **श्रीमति प्रनति सतपथी, सहायक महाप्रबंधक(एचआर), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा।**
6. **अन्य अधिकारीगण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा।**

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि ओबीसी कैटेगरी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आरक्षण किस दिनांक से शुरू हुआ जिसके प्रतिउत्तर में एजीएम(एचआर) द्वारा बताया गया कि 1993 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षण शुरू किया गया। आयोग द्वारा पूछा गया कि जब ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षण 1993 से शुरू हुआ है तो रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर में वर्ष 1993 से 1998 तक ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों की नियुक्ति क्यों नही की गयी है क्या नियुक्ति में ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण नही दिया गया है इसका उत्तर आयोग को उपलब्ध कराया जाएं।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर में ओबीसी के कॉलम में टैम्परिंग क्यों और किसके निर्देशानुसार की गयी है इसकी जानकारी आयोग को उपलब्ध करायी जाएं।
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि वित्त मंत्रालय के लाईसन ऑफिसर द्वारा अंतिम बार रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर का निरीक्षण कब किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में एजीएम(एचआर) द्वारा बताया गया कि वित्त मंत्रालय के लाईसन ऑफिसर द्वारा अंतिम बार रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर का

प्रणति सतपथी अनूप कुमार सिन्हा विद्या कृष्णन

निरीक्षण 2015 में किया गया था। आयोग द्वारा पूछा गया कि 2015 के बाद रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर का निरीक्षण वित्त मंत्रालय के लाईसन ऑफिसर द्वारा क्यों नही कराया गया इसका उत्तर आयोग को उपलब्ध कराया जाएं।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों का साक्षात्कार यूआर कैटेगरी के उम्मीदवारों के अलग दिनांक व समय पर किया जाता है जिसके प्रतिउत्तर में सीजीएम द्वारा बताया गया कि सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अलग-अलग समय पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। आयोग द्वारा कहा गया कि यह जानकारी आयोग को शपथ-पत्र पर उपलब्ध करायी जाएं।
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि रोस्टर रजिस्टर के कॉलम में SC/ST/NEITHER लिखा गया है आयोग को बताया जाएं कि NEITHER शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है इसकी जानकारी आयोग को उपलब्ध करायी जाएं।

उपरोक्त अपेक्षित सभी जानकारी आयोग को 7 कार्यदिवस में उपलब्ध करायी जाएं।

प्रणति सतपथी

(श्रीमति प्रनति सतपथी)
सहायक महाप्रबंधक(एचआर),
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा

अनूप कुमार सिन्हा

(श्री अनूप कुमार सिन्हा)
उप महाप्रबंधक(एचआर),
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

Vidya विद्याकृष्णन

(श्रीमति विद्या कृण्णन)
मुख्य महाप्रबंधक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/216/2020-KSP

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ दिनांक 21.10.2021 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्रीमती विद्या कृष्णन, मुख्य महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर
4. श्री बिजय कुमार कुजुर, महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
5. श्री एस. टी. लामा, महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
6. श्री अनुप कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर
7. श्री हेमंत कुमार गडगे, सहायक महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
8. अन्य अधिकारीगण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या महाप्रबंधक का अप्वाइंटमेंट बैंक द्वारा होता है। जिसके जवाब में महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया कि अप्वाइंटमेंट बैंक द्वारा ही होता है।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि स्टेट बैंक में जीएम या उससे ऊपर की नियुक्ति बैंक करता है या आईबीपीएस करता है, जिसके जवाब में महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया कि जीएम की नियुक्ति बैंक करता है। आयोग द्वारा पूछा गया कि आप मानव संसाधन विभाग में कब से कार्यरत है जिसके जवाब में महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया कि मै पिछले साल से मानव संसाधन विभाग में कार्यरत हूँ। आयोग द्वारा सहायक महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछा कि आप कब से मानव संसाधन विभाग में कार्यरत है जिसके जवाब में सहायक महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि मैं 2 वर्ष से मानव संसाधन विभाग में कार्यरत हूँ। आयोग द्वारा पूछा गया कि मानव संसाधन विभाग में नियुक्ति से पहले कोई ट्रेनिंग या मानव संसाधन के बारे में कोई जानकारी दी गयी थी जिसके जवाब में सहायक

5. एस टी लामा

(1) विजय कुमार कुजुर

[illegible]

6. अनूप कुमार सिन्हा

7. [illegible]

महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया गया हमें जानकारी दी गयी थी।

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि मानव संसाधन विभाग सेन्सिटिव है या नॉन सेन्सिटिव है। जिसके जवाब में महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया कि यह सेन्सिटिव पोस्ट है। आयोग द्वारा कहा गया कि सेन्सिटिव पोस्ट की गाईडलाइन आयोग को दिखाइये।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या उड़ीसा राज्य का यह रोस्टर रजिस्टर सही है और क्या यह प्रमोशन रोस्टर रजिस्टर है या रिक्रूटमेंट रोस्टर रजिस्टर है? जिसके जवाब में महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया कि यह प्रमोशन रोस्टर रजिस्टर है। आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या चीफ लाईसन ऑफिसर, डीएफएस भुवनेश्वर रोस्टर रजिस्टर चैक करने गये थे। महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह वर्ष 2015 का रोस्टर रजिस्टर जिसके जवाब में है। आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या वर्ष 2015 का रोस्टर रजिस्टर डीएफएस के संपर्क अधिकारी द्वारा चैक किया गया है जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015 का रोस्टर रजिस्टर, डीएफएस के संपर्क अधिकारी द्वारा चैक किया गया है।

5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ओएम न. 36011/28/83/एससीटी दिनांक 12.03.1984 to the ministry and department ओबीसी का रिजर्वेशन भारत सरकार ने कब शुरु किया जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर द्वारा बताया गया कि वर्ष 1993 में किया। आयोग द्वारा पूछा गया कि अगर ओबीसी का रिजर्वेशन वर्ष 1993 को हुआ तो इसमें वर्ष 1984 का नियम कैसे लागू हुआ। जिसके जवाब में मुख्य महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर द्वारा बताया गया कि सर हमसे गलती हो गयी। आयोग द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर से कहा कि क्या उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर ने आपसे इसपर अप्रुवल लिया था जिसके जवाब में मुख्य महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर द्वारा बताया गया कि जी सर, इन्होने मुझे दिखाया था। आयोग द्वारा उप महाप्रबंधक, भुवनेश्वर से कहा गया कि आप शपथ-पत्र पर लिखकर दीजिये कि आपने यह वर्ष 1984 के ओएम

5. एस टी लाम्बा

(2) विजय कुमार कुजुर

6. अनूप कुमार सिन्हा

[signature]

7. [signature]

के आधार पर क्यों फाइल किया है और किस नियम के तहत आपने यह फाइल किया है।

6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि सभी शपथ-पत्र नोटराइज करके आयोग को उपलब्ध कराये जाये। तथा संपर्क अधिकारी व मानव संसाधन विभाग में नियुक्त अधिकारियों की आईएसटीएम से आरक्षण संबंधी ट्रेनिंग करा लीजिये।
7. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि उड़ीसा सर्किल के जितने भी रोस्टर रजिस्टर है उन सभी की केन्द्रीय कार्यालय जांच करके जांच रिपोर्ट से डीएफएस को अवगत कराये।
8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया दिल्ली सर्किल का पार्ट टाइम का रोस्टर रजिस्टर चैक कराने के लिये कहा गया और सभी स्टेटवाईज जानकारी 3 कार्य दिवस के अंदर आयोग को उपलब्ध कराने के लिये कहा गया।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री हेमंत कुमार गडगे)
सहायक महाप्रबंधक,
केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

अनूप कुमार सिन्हा
(श्री अनुप कुमार सिन्हा)
उप महाप्रबंधक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर

विजय कुमार कुजुर
(श्री बिजय कुमार कुजुर)
महाप्रबंधक,
केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

एस टी लामा
(श्री एस. टी. लामा)
महाप्रबंधक,
केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(श्रीमती विद्या कृष्णन)
मुख्य महाप्रबंधक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग